

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

स०12/2022-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जुलाई, 2022

सा.का.नि.....(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर 2017 संख्याक 1600(अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक में "30 जून 2022" अंको, अक्षरों और शब्दों के स्थानपर "28 जुलाई 2022" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.स.सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर 2017 संख्याक सा.का.नि 1600 (अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022-केन्द्रीय कर तारीख 26 मई 2022 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सा.का.नि. 397 (अ) तारीख 26 मई 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।